नियम– 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा

मुकेश कुमार बनाम महेन्द्र आदि

किस्म मुकदमा :–212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर :– 64/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
16.08.2024	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता खेताराम कस्वां ने प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पर रिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रकरण /प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कपूरचंद शर्मा उपस्थित हुए। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता सं0 14/51 के मु0न0 6 के किला न0 12/2 की 0.2208है0 किला न0 19/3 की 0.2255है0 किला न0 20/4 की 0.0783है0 मु0न0 10 के किला न0 1/1 की 0.2270है0 किला न0 1/2 की 0.0260है0 किला न0 10 की 0.2530है0 की कुल 1.0306है0 प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी है। उक्त खातेदारी में अप्रार्थी द्वारा जबरन निमार्ण कार्य किया जा रहा है जबिक अप्रार्थी स्वयं की खातेदारी चिपते ही वे 8 बीएचडी के खाता सं0 59/51 की कुल 1.3790है0 में स्थित है। अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें कि वह प्रार्थी की खातेदारी भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 का खाता अलग कायम है यदि प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा किये गये निर्माण कार्य से कोई आपत्ति हो तो वह एलआरएक्ट नियमों के तहत तहसीलदार भादरा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अतः प्रार्थी न्यायालय हाजा से किसी भी प्रकार के स्थगन आदेश पारित करवाने का कानूनी अधिकारी नहीं है। अभिभाषकगण की बहस पर मनन कर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबंदी, विवादित भूमि की फोटो व आरआरडी नजीर राम दयाल बनाम भगवानसिंह पेज न0 718 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्माण कार्य किया जाना प्रतित होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतित होने पर उभयपक्ष को जवाब प्रस्तुत होने तक इस आशय के साथ पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित रकबा रोही मौजा चक 8 बीएचडी के खाता सं0 14/51 के मु0न0 6 के किला न0 12/2 की 0.2208है0 किला न0 19/3 की 0.2255है0 किला न0 20/4 की 0.0783है0 मु0न0 10 के किला न0 1/1 की 0.2270है0 किला न0 1/2 की 0.0260है0 किला न0 10 की 0.2530है0 की कुल 1.0306है0 में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करे। पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थीगण दिनांक 11.09.2024 को पेश हो। 16-08-24	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shiyran
Date: 2024.11.21 17:02:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

11/9/24

पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त है
दिनांक 12.11.24 को पेश हो।
Sig

12/11/24
Not press
[illegible]
12/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] में आगामी कार्यवाही नहीं करवाने हेतु Note press अंकित किया। पत्रावली दर्ज रजि. पर खारिज/बिदा किया गया। पत्रावली दर्ज रजि. पर [illegible] दाखिल दफ्तर की जावे।
Sd/-

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.21 17:02:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner